



2026:AHC:19277

ए.एफ.आर.

सुरक्षित : 06.01.2026

प्रदत्त : 28.01.2026

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 2776/2013

राजेश कुकरेजा

...पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

...प्रतिपक्ष

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता: एल.एम. सिंह

प्रतिपक्ष के अधिवक्ता: आलोक कुमार यादव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 53

(माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल द्वारा सुनाया गया)

1. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एल.एम. सिंह; विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार यादव की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अंकुर कुशवाहा; तथा राज्य/विपक्षी संख्या 1 की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता- श्री अजय सिंह को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397/401 के अंतर्गत यह पुनरीक्षण याचिका, पुनरीक्षणकर्ता - राजेश कुकरेजा द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"अतः, अत्यंत विनम्रतापूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय, न्याय के हित में, महानगर मजिस्ट्रेट-अष्टम, कानपुर नगर द्वारा परिवाद संख्या 1091/2012 (मेसर्स कृष्णा होटल बनाम राजेश कुकरेजा) में पारित आदेश दिनांकित 26.7.2013 को अपास्त करने की कृपा करे।"

3. मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि एक परिवाद दिनांकित 8.8.2012 मेसर्स कृष्णा होटल्स एंड डेवलपर्स द्वारा अपने साझेदार श्रीमती सरोज दुबे पत्नी श्री वीरेंद्र दुबे माध्यम से - राजेश कुकरेजा, निदेशक, मंगलम रेस्टोरेंट एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड, पुत्र घनश्यामदास, के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1988 की धारा 138 सपठित धारा 142, तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 406 एवं 420 के अंतर्गत अपराधों के लिए दायर किया गया था। परिवादी ने 8.8.2012 को एक हलफनामा दायर किया, जिसे धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उसके बयान के रूप में पढ़ा जाना था। विचारण न्यायालय ने अपने 21.11.2012 के आदेश में यह पाया कि अभिलेख की जांच करने पर पता चलता है कि परिवाद मेसर्स कृष्णा होटल्स एंड डेवलपर्स की ओर से साझेदार श्रीमती सरोज दुबे द्वारा दायर की गई है, जबकि चेक संख्या 115261, 115262, 115263, 115264, 199008, 199009, 199010, 199011, 199013, 199014 और 199015 सभी 2,00,000/- रुपये के, दिनांकित 15.04.2012 होटल पैराडाइज के पक्ष में जारी किए गए थे; जबकि परिवाद मेसर्स कृष्णा होटल्स एंड डेवलपर्स की ओर से साझेदार श्रीमती सरोज दुबे द्वारा दायर की गई है, जबकि परिवाद होटल पैराडाइज को अपने प्रतिनिधि के माध्यम से दायर करनी चाहिए थी। न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि परिवादी अगली तारीख तक इस मामले पर स्पष्टीकरण दे। इसके बाद, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 8, कानपुर नगर द्वारा 26.7.2013 को अाक्षेपित आदेश पारित किया गया। संबंधित न्यायालय ने परिवाद, धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवादी के बयान, और धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि राजेश कुकरेजा के खिलाफ धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अपराध बनता है, और इस प्रकार उन्हें उक्त धारा के तहत समन जारी किया। इस प्रकार, उक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विपक्षी संख्या 2 की ओर से दिनांक 16.12.2013 को एक जवाबी हलफनामा और पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उसके जवाब में दिनांक 24.2.2014 को एक प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया गया है, जो अभिलेख पर मौजूद हैं।

5. इस प्रकार, वर्तमान मामले में विवाद चेक संख्या 115261, 115262, 115263, 115264, 199008, 199009, 199010, 199011, 199013, 199014 और 199015 — ये सभी ₹2,00,000/- प्रत्येक के हैं, दिनांकित 15.04.2012, ये बैंक ऑफ इंडिया, करोल बाग शाखा, नई दिल्ली पर आहरित हैं और मंगलम रेस्टोरेंट एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा होटल पैराडाइज के पक्ष में जारी किए गए हैं, से संबंधित है।

6. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि इस मामले की कार्यवाही मेसर्स कृष्णा होटल्स एंड डेवलपर्स द्वारा अपने साझेदार श्रीमती सरोज दुबे, श्री वीरेंद्र दुबे की वयस्क पत्नी, के माध्यम से, पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दायर 08.08.2012 की परिवाद के आधार पर शुरू की गई थी। इस परिवाद में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अष्टम, कानपुर नगर की अदालत ने 21.11.2012 के आदेश के माध्यम से परिवादी को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि अक्षेपित चेक 'होटल पैराडाइज' के नाम पर जारी किए गए थे, लेकिन परिवाद मेसर्स कृष्णा होटल्स एंड डेवलपर्स द्वारा अपनी साझेदार श्रीमती सरोज दुबे के माध्यम से दायर की गई है; जबकि उक्त परिवाद होटल पैराडाइज या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा दायर की जानी चाहिए थी। यह तर्क दिया गया है कि इसके बाद संबंधित विचारण न्यायालय ने 26.07.2013 के अक्षेपित आदेश के माध्यम से, यह टिप्पणी करते हुए कि होटल पैराडाइज मेसर्स कृष्णा होटल्स एंड डेवलपर्स की एक इकाई है, आवेदक को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए समन जारी करने की कार्यवाही आगे बढ़ाई जो पूरी तरह से अवैध है और पूरे अभियोजन को ही समाप्त कर देती है, क्योंकि इस मामले के परिवादी के पास कार्यवाही शुरू करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह तर्क दिया गया कि इस प्रकार, अक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

7. इसके विपरीत, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों और पुनरीक्षण याचिका का पुरजोर विरोध किया और तर्क दिया कि विचारण न्यायालय मामले के तथ्यों से पूरी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तरह संतुष्ट थी, और इसलिए उसने जांच के बाद परिवाद पर संज्ञान लिया तथा अभियुक्त/पुनरीक्षणकर्ता को समन जारी किया। प्रति-शपथ पत्र के पैरा-6 का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया जाता है कि होटल पैराडाइज को मार्केटिंग के उद्देश्य से इस समझौते पर दिया गया था कि कुल वार्षिक टर्नओवर का 50% हिस्सा विपक्षी संख्या 2 को दिया जाएगा। आगे यह भी तर्क दिया गया कि विपक्षी संख्या 2 होटल पैराडाइज की साझेदार हैं, जिन्होंने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पुनरीक्षणकर्ता के साथ एक मौखिक अनुबंध किया था, और इसलिए उनके पास परिवाद दायर करने का कानूनी अधिकार है। विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने **मेसर्स नरेश पॉटरीज बनाम मेसर्स आरती इंडस्ट्रीज और एक अन्य: 2025 0 INSC 1, (पेज-14)** के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को रखा है और यह दलील दी है कि उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि यदि परिवाद करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने का अधिकार न होने के संबंध में कोई विवाद है, तो अभियुक्त के लिए यह खुला होगा कि वह इस स्थिति पर आपत्ति करे और विचारण के दौरान इसे साबित करे; और इस प्रकार सही स्थिति यह होगी कि पुनरीक्षणकर्ता को विचारण के चरण में ही उक्त आपत्ति उठानी चाहिए, जिसका निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यह तर्क दिया गया कि इस आधार पर वर्तमान पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी जाए।

8. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड्स की जांच करने के बाद, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में विवाद चेक संख्या 115261, 115262, 115263, 115264, 199008, 199009, 199010, 199011, 199013, 199014 और 199015 से संबंधित है; ये सभी चेक 15.04.2012 की तारीख वाले थे और प्रत्येक की राशि 2,00,000/- रुपये थी, जिन्हें बैंक ऑफ इंडिया, करोल बाग शाखा, नई दिल्ली से होटल पैराडाइज के पक्ष में जारी किया गया था। उक्त चेक अस्वीकृत हो गए थे। इस संबंध में एक परिवाद दर्ज की गई थी, जिस पर शुरू में विचारण न्यायालय ने परिवादी के अधिकार के संबंध में एक प्रश्न उठाया था, लेकिन बाद में संज्ञान लिया और अाक्षेपित आदेश के माध्यम से अभियुक्त/पुनरीक्षणकर्ता को समन जारी किया। यही आदेश अब इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें परिवादी/विपक्षी पक्ष संख्या 2 के उक्त परिवाद दर्ज करने के 'लोकस' (अधिकार) के संबंध में हैं। वर्तमान मामले में परिवाद मेसर्स कृष्णा होटल्स एंड डेवलपर्स की ओर से उसकी साझेदार श्रीमती सरोज दुबे, श्री वीरेंद्र दुबे की पत्नी, द्वारा, राजेश कुकरेजा घनश्यामदास के पुत्र निदेशक, मंगलम रेस्टोरेण्ट और होटल प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने उसी के पैरा-1 में यह उल्लेख किया है कि वह हाउस संख्या 16/62, सिविल लाइंस, कानपुर में स्थित मेसर्स पैराडाइज़ होटल एंड रेस्टोरेण्ट की स्वामी हैं। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे इसके बाद "N.I. अधिनियम" कहा गया है) की धारा 142 में अपराधों के संज्ञान के संबंध में प्रावधान किया गया है। यह इस प्रकार है:-

"अपराधों का संज्ञान।

142. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,—

(a) कोई भी न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, सिवाय उस परिवाद के आधार पर नहीं लेगा, जो आदाता द्वारा, या यथास्थिति, चेक के सम्यक् अनुक्रम धारक द्वारा लिखित रूप में की गई हो;

(b) ऐसी परिवाद उस तारीख से एक मास के भीतर की गई हो जिस तारीख को धारा 138 के परंतुक के खंड (c) के अधीन वाद-हेतु उत्पन्न होता है:

(c) [परंतु यह कि किसी परिवाद का संज्ञान न्यायालय द्वारा विहित अवधि के पश्चात् भी लिया जा सकेगा, यदि परिवादी न्यायालय को यह समाधान करा देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर परिवाद न करने का पर्याप्त कारण था;]

(d) कोई भी न्यायालय, जो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर है, धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।"

10. N.I. अधिनियम की धारा 7 में "अहर्ता", "अहर्ती", "आवश्यकता की दशा में अहर्ती", "स्वीकर्ता", "सम्मानार्थ स्वीकर्ता" और "आदाता" को परिभाषित किया गया है। यह इस प्रकार है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"7. 'अहर्ता', 'अहर्ती'—विनिमय-पत्र या चेक का रचयिता 'अहर्ता' कहलाता है; वह व्यक्ति जिसे उसके द्वारा संदाय करने का निर्देश दिया जाता है, 'अहर्ती' कहलाता है।

'आवश्यकता की दशा में अहर्ती'—जब विनिमय-पत्र में या उस पर किसी पृष्ठांकन में, अहर्ती के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति का नाम दिया जाता है जिससे आवश्यकता की दशा में संपर्क किया जाना है, तब ऐसा व्यक्ति 'आवश्यकता की दशा में अहर्ती' कहलाता है।

'स्वीकर्ता'—जब किसी विनिमय-पत्र के अहर्ती ने उस विनिमय-पत्र पर, या यदि उसके एक से अधिक भाग हैं, तो ऐसे भागों में से किसी एक भाग पर अपनी सहमति के हस्ताक्षर कर दिए हों, और उसे परिदत्त कर दिया हो, या ऐसे हस्ताक्षर करने की सूचना धारक को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को दे दी हो, तब वह 'स्वीकर्ता' कहलाता है।"

"सम्मान के लिए स्वीकारकर्ता" - जब किसी बिल ऑफ़ एक्सचेंज को स्वीकार न किए जाने या बेहतर सुरक्षा के लिए नोट या प्रोटेस्ट किया जाता है, और कोई व्यक्ति इसे ड्रॉअर (आहर्ता) या किसी इंडोर्सर (पृष्ठांकक) के सम्मान के लिए 'सुप्रा प्रोटेस्ट' (विरोध के बाद) स्वीकार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सम्मान के लिए स्वीकारकर्ता कहा जाता है।

"आदाता"—दस्तावेज में नामित वह व्यक्ति, जिसे या जिसके आदेश पर दस्तावेज द्वारा पैसे का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, उसे "आदाता" कहा जाता है।

11. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 9 "यथाविधि धारक" को परिभाषित करती है, जो इस प्रकार है:-

"9. 'यथाविधि धारक'। - 'यथाविधि धारक' का अर्थ है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले किसी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ़ एक्सचेंज या चेक का कब्ज़ा प्राप्त करता है - यदि वह वाहक को देय है; या उसका आदाता या पृष्ठांकित बनता है - यदि वह [आदेश पर देय] है;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसमें उल्लिखित राशि के देय होने से पहले, और यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण न होते हुए कि जिस व्यक्ति से उसने अपना हक प्राप्त किया था, उसके हक में कोई दोष विद्यमान था।"

12. जहाँ तक विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मेसर्स नरेश पॉटरीज़ (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ है, तो उस मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से भिन्न हैं। उक्त निर्णय के पैरा-26 को पढ़ने से यह पता चलता है कि उस मामले में परिवाद मेसर्स नरेश पॉटरीज़ द्वारा अपने प्रबंधक और प्राधिकार-पत्र धारक के माध्यम से दायर की गई थी। उस मामले में चेक मेसर्स आरती इंडस्ट्रीज के खाते से मेसर्स नरेश पॉटरीज़ के नाम पर जारी किया गया था, और इस प्रकार नरेश पॉटरीज़ उस चेक का यथाविधि धारक था। अतः उस मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं, और इसलिए उक्त निर्णय वर्तमान मामले में विपक्षी संख्या 2 के लिए किसी भी प्रकार से सहायक नहीं होगा।

13. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत किसी तीसरे पक्ष द्वारा दायर कोई परिवाद पोषणीय नहीं है। इसे केवल चेक के आदाता या यथाविधि धारक द्वारा ही दायर किया जाना चाहिए। इस अधिनियम की धारा 138 चेक के अस्वीकृत को एक अपराध घोषित करती है। अधिनियम की धारा 142(1)(a) स्पष्ट रूप से कहती है कि परिवाद केवल आदाता या चेक के 'यथाविधि धारक द्वारा ही की जा सकती है। आदाता वह व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में चेक जारी किया जाता है। यथाविधि धारक वह व्यक्ति होता है जिसे किसी प्रतिफल के बदले वैध रूप से चेक प्राप्त होता है और वह उसमें उल्लिखित राशि का हकदार बन जाता है (अधिनियम की धारा 7 और 9)। आदाता या चेक के धारक का कोई अधिकृत प्रतिनिधि, 'Power of Attorney' धारक या कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्यवाही शुरू कर सकता है; लेकिन परिवाद फिर भी आदाता या चेक के धारक के नाम से ही होनी चाहिए, न कि प्रतिनिधि की व्यक्तिगत क्षमता में। कोई तीसरा पक्ष या कोई अजनबी, जिसका चेक पर कोई कानूनी अधिकार न हो, परिवाद दायर या शुरू नहीं कर सकता। कोई ऐसा व्यक्ति जो न तो आदाता है और न ही यथाविधि धारक, परिवाद दायर नहीं कर सकता, भले ही वह उस लेन-देन से परोक्ष रूप से प्रभावित हुआ हो। किसी तीसरे पक्ष जैसे कि 'Attorney' धारक या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रबंधक के माध्यम से की गई परिवाद केवल तभी वैध मानी जाएगी, जब वे विधिवत अधिकृत हों और परिवादी स्वयं आदाता या चेक का धारक ही बना रहे। कंपनियों या फर्मों के मामले में, वह संस्था ही परिवादी होती है, जो किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्य करती है। अतः, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत, किसी तीसरे पक्ष द्वारा अपने स्वयं के नाम से की गई परिवाद तब तक स्वीकार्य नहीं है, जब तक कि वह तीसरा पक्ष यथाविधि धारक की श्रेणी में न आता हो, या फिर वह केवल आदाता या चेक के धारक के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हो।

14. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 2 के पास वर्तमान परिवाद दायर करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। यद्यपि विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 21.11.2012 में परिवादी के कानूनी अधिकार के संबंध में उक्त टिप्पणी का उल्लेख किया था, परंतु बाद में, अभियुक्त/पुनरीक्षणकर्ता को समन जारी करने वाले आक्षेपित आदेश को पारित करते समय, न्यायालय ने उस टिप्पणी पर कोई विचार नहीं किया।

15. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 8, कानपुर नगर द्वारा परिवाद संख्या 1091/2012 (मेसर्स कृष्णा होटल बनाम राजेश कुकरेजा) में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 26.7.2012 को अपास्त किया जाता है।

16. धारा 397/401 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत यह पुनरीक्षण स्वीकार की जाती है।

17. यदि कोई लंबित आवेदन हों, तो वे निस्तारित माने जाएंगे।

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

28 जनवरी 2026

नरेश.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।